

2022/66

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

दिनांक/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
20/22	88, 89, 91, 188 RTA	शेनी	दुबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
धर्मेन्द्र वगै.	बनाम	रामदयाल वगै.

वकील :- अरविंद प्रताप सिंह एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

15/3/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.04.2022 को पेश हो।

[Handwritten signature]

18/4/22

आज पी.एम.जी. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11.5.22 को पेश हो। एडवो. हेमंत चरित को बकाया तलव पत्र (डुआ) *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

9/5/22

आज पी.एम.जी. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27.6.22 को पेश हो।

[Handwritten signature]
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

22/6/22

पत्रावली पेश हुई। कुलमाए परी केन उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बौद तमील समत प्राप्त। प्रतिवादी डुआ की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ है। समत चोहा है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

18/7/22

पत्रावली पेश हुई। कुलमाए परी केन उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया है। समत चोहा है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

प. 1/23

पत्रों व लौ पेशा हुई। वक्तु लार करी केन उपस्थित।
 वकील प्राणीथान द्वारा प्रकरण में Not PRESS किया
 है। वकील प्राणी ने बताया कि पक्षकारों में आपस में
 राजीनामा हो गया है। इसलिए वादपत्र को आगे
 चलाना नहीं चाहते हैं। पक्षकारों के हस्ताक्षर भेजे
 गये। प्रकरण में कार्य वाही इसी स्तर पर ट्राय
 की जाती है। फावली नम्बर से काम होकर दारिजल
 दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

[Handwritten signature]

कुंज
 Not Press
[Handwritten signature]

राजव
 III
[Handwritten signature]